श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुलकर्णी जी ने जो कुछ कहा है उसको कार्यवाही से निकाल देना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है... (व्यवधान) प्वाइंट आफ आर्डर में इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ... (**व्यवधान**).

उपसभापति : आप बैठ जाइये।

SHRI A. G. KULKARNI: Let me complete. They had the guts to decontaminate the pillar. There must be some method in madness. (*Interruption*) Mr Vajpayee, please listen; you are a freedom-fighter....

SHRI NEPALDEV BHATTACHARJEE (West Bengal): I have a point of order, Madam, on his remarks. No. You have allowed him. (*Interruptions*). You have to allow me. (*Interruptions*).

SHRI SURESH KALMADI: What is the objection to the 1942 movement? (*Interruptions*).

SHRI NEPALDEV BHATTACHARJEE: You have allowed him. (*Interruptions*). You should allow me now. (*Interruptions*). I have a point of order. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, please. (*Interruptions*). Order, please. (*Interruptions*). Yes, Mr. Vajpayee, you wanted to say something, you please speak now. (*Interruptions*).

RE. CERTAIN REMARKS MADE AGAINST OPPOSITION MEMBERS ON 4.8.87.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और मैं नियम उद्धृत कर रहा हूं नियम 238 के अन्तर्गत यह है कि कोई भी सदस्य दूसरे मैम्बर के खिलाफ पर्सनल चार्ज नहीं कर सकता है।

श्री अरविंद गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र) : हमने किया ही नहीं।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Rule 238A:

> "No allegation of a defamatory or incriminary nature shall be made by a Member against any other Member..."

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): Yes.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन 4 अगस्त को इन दोनों नियमों का खुला उल्लंघन हुआ। एक सम्मानित सदस्य ने जो सत्ता पक्ष के हैं मेरा नाम लेकर मेरे सहयोगी श्री आडवाणी जी का नाम लेकर, कुछ दूसरे गण्यमान्य नागरिक जो इस सदन में उपस्थित नहीं हैं उनका नाम लेकर बदनाम करने वाली बातें कहीं, हमारी देशभक्ति को चुनौती दी (**व्यवधान**) यह हंसने की बात है ? महोदया, दुख की बात यह है कि आपने उस सम्मानित सदस्य को रोका नहीं। आपने उस सम्मानित सदस्य को बदनाम करने वाली बातों को कार्यवाही से निकाला नहीं। 4 अगस्त को आरोप लगाए गये थे, वे आरोप समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। क्या नियमों का पालन प्रतिपक्ष के लिए करना ही जरूरी है ? उस दिन प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया गया, एक प्ले कार्ड दिखाया गया। आपने कार्यवाही की। सारे सदन में उसको पसंद नहीं किया। आपने श्री पुट्टापागा राधाकृष्ण को कहा कि अपने आरोप वापिस लें और माफी मांगें। न मांगने पर आपने उनको सात दिन के लिए सदन से निकाल दिया। क्या अलग-अलग मापदण्ड होंगे ? क्या सम्मानित सदस्यों के सम्मान को नापने के लिए भी अलग-अलग मापदण्ड अपनाए जाएंगे। अगर नियमों का पालन 6 दिन बाद होगा, जिस दिन बात कही गई, चार अगस्त को जो आरोप लगाए गये थे अगर वह 10 अगस्त तक कार्यवाही में रहे तो क्या उनसे जो नुकसान होना था वह नहीं हो गया। क्या आपको तत्काल वह बातें कार्यवाही से नहीं निकाल देनी

चाहिये थीं ? मैं चाहता हूं कि आप इसका स्पष्टीकरण दें। इस पीठ पर बैठकर आपको निष्पक्ष होना चाहिये। (व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT): Madam Deputy Chairman, . . . (*Interruptions*).

SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pradesh): Madam, what the honourable Member said should be expunged. (*Interruptions*).

श्री नेपाल देव भट्टाचार्य (पश्चिमी बंगाल) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर सुन लीजिये (व्यवधान)

उपसभापति : उन्होंने बोल दिया। (व्यवधान)

श्री नेपाल देव भट्टाचार्य : उन्होंने नहीं बोला। मेरी बात वह कैसे कहेंगे। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर उन्होंने बोल दिया, यह कैसे होगा ?

उपसभापति : मैं अभी आपको टाइम देती हूं।

श्री नेपाल देव भट्टाचार्य : मैंने प्वाइंट आफ आर्डर पहले उठाया था।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You please sit down (*Interruptions*). Please sit down. Now, the Minister of Parliamentary Affairs wants to say something. Yes, Mr. Minister.

SHRI H. K. L. BHAGAT: Madam, I entirely agree with the Rule which the honourable Member, Shri Atal Bihari Vajpayee, has quoted and its spirit should be followed by all the people, whether from this side or that side, and there should be absolutely no violation. Now, in this particular case, the matter was raised by Mr. Advani in a meeting which Mr. Pant and I had with the leaders of the Opposition and I said that we should go through the record and make suitable amends. I have said it. We went through the record... (*Interruptions*)... We went through the record... (*Interruptions*) ... Please listen. We went through the record and I do not want to repeat all those things... (*Interruptions*)... But what they said was not precisely there. But, all the same, we felt the some suitable amends should be made and Mr. Sukul had already written a letter to you that all those portions which he had said—he said it in the House—should be expunged. He said in the House that this should be expunged. That has been done. I think a parliamentarian of Mr. Vajpayee's stature should not cast any reflection on the Chair.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I did not cast any reflection.

महोदया मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उसका उत्तर आपको देना है, भगत जी को नहीं।

उपसभापति : मैं दे रही हूं। जब आप बैठ जायें तो दूं ना।

श्री एच०के०एल० भगत : आपके कहने से पहले हो चुका है... (व्यवधान)

उपसभापति: इनको पहले बोलने दीजिए One by one. Please sit down.

श्री नेपालदेव भट्टाचार्य : मेरे पाइंट आफ आर्डर का मतलब यह है कि आनरेबुल मेम्बर दीपेन घोष बता रहे थे ... (व्यवधान) नहीं खत्म हुआ। कब खत्म हुआ। उस पर रिमार्क किया। उसी के बाद पाइंट आफ आर्डर उठा था (व्यवधान) नहीं खत्म हुआ। आपने खत्म किया है। (*Interruptions*)

You don't tell me. You tell to the Chair.

आनरेबुल मेम्बर को यह बताया कि यह प्रिसीडेंट नहीं है... (व्यवधान) कुलकर्णी जी ने एक न्यूज पेपर निकालकर सदन के सामने रखा। यह प्रीप्लान्ड है। यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है... (व्यवधान) पेपर साथ में लाये थे डिमांस्ट्रेट करने के लिए। साथ में पेपर लाये थे। दीपेन घोष के कमेंट के ऊपर पाइंट आफ आर्डर जो इन्स्टेंट होता है उसके लिए प्रिपेयर

[श्री गोपाल देव भट्टाचार्य]

होकर घर से लाये हैं । तो आप इनको एलाउ करती हैं, इनके पाइंट आफ आर्डर को ?

उपसभापति : श्री वाजपेयी जी ने कुछ यहां कहा । जब श्री पी० एन० सुकुल उस कालिंग अटेंशन पर बोल रहे थे और उन्होंने कुछ मेम्बर्स के नाम लिये तो श्री ए० जी० कुलकर्णी साहब ने उठकर कहा कि नाम लेना ठीक नहीं होगा । उसी वक्त मैंने कहा कि किसी का नाम उन्हें मेन्शन नहीं करना चाहिए, उसी वक्त, क्योंकि the Members are not present here to defend themselves. तो आपने जो चेयर के बारे में कहा वह मुझे लगता है कि ठीक नहीं है । दूसरी बात यह है कि मुझे दूसरे दिन ही आडवाणी जी और वाजपेयी जी से कुछ टिप्स में मिला था, इसी के बारे में, रिमार्क्स एक्सपंन्शन के बारे में तो सुकुल साहब को मैंने बुलाया और उन्होंने लिखवा दिया और उसी वक्त उनको एक्सपंज कर दिया गया । कुछ और भी रिमार्क्स रह गये थे जिनके ऊपर और भी मेरे पास लेटर आये, दूसरे दिन पी०एन० सुकुल साहब ने कहा कि मैं सारी हूं अगर किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं और एक्सपंज करने के लिए उनको कोई आपत्ति नहीं है । सारे ऐसे जो रिमार्क्स थे वे एक्सपंज कर दिये गये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक्सपंज करने में इतनी देर नहीं होनी चाहिए । (**व्यवधान**)

SHRI SAT PAUL MITTAL (Punjab): All the references to the Chair must be expunged or he should express regret.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It would be good gesture.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I did not cast any reflection on the Chair. I simply said that the Chair should be fair. This is not a reflection. I have been in Parliament for the last thirty years.

उस दिन जब सुकुल साहब आरोप लगा रहे थे तब आप किसी का मुंह नहीं खुला, तब आप ताला लगाकर बैठे थे ।

RE. ORDERLY FUNCTIONING OF HOUSE

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairman, while thanking you for your ruling I would like to refer to one more instance though it is very old. Since we want to conduct this House in an orderly manner with goodwill on both sides, I thought whatever bad feelings are there must be removed before we settle down to business. Therefore, I am constrained to refer to the proceedings of the 28th July when tempers were frayed in this House and there were ugly scenes in the House. Normally, these are not condonable and everybody should feel sorry for such incidents. But, Madam, as you know, such instances are not rare. They do happen in many Parliaments and Assemblies because on certain occasions tempers are frayed. This House, though it is supposed to be a House of elders...

AN HON. MEMBER: Why supposed to be?

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Let me complete, why do you react?... it consists of many young Members and youthful old Members. Therefore, sometimes these things happen. On that day unfortunately, while adjourning the House you made some remarks. I do not question your authority to make any remarks or to castigate Members also when they misbehave. But, for you Madam, both sides are equal. Therefore, when you admonish also, the admonition should be done equally to both sides unless you specifically name somebody. But in your remarks you chose to put some words like that some Members of the Opposition misbehaved, to which we took objection and when we met in your chamber also, we requested you to make suitable clarifications so that your remarks applied only to those who really misbehaved on either side. Therefore,